to constitute a joint task force to locate and verify the status of the persons named in the list within a time bound schedule and to take strong vigorous action according to law against those found violating the law simultaneously with rehabilitation of those found eligible for such assistance under the Centrally Sponsored Scheme.

रोजगार कार्यालय का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित किया जाना

937. श्री ईश दत्त यादव :
श्री आस मोहम्मद :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार कार्यालयों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के संबंध में हाल ही में कोई कदम उठाये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं । इनके द्वारा रोजगार कार्यालयों के प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इनके कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। पंजीकरण एवं नियुक्ति के मामलों में सरलीकरण एवं एकरूपता के संबंध में, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये जाते हैं ।

श्रम दिवसों की हानि

938. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने श्रम दिवसों की हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों में बढ़ते असंतोष को कम करने के लिये प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में कोई नीति बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चुनिन्दा उद्योग समूहों में वर्ष 1994 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों की वजह से नष्ट हुए श्रम दिवसों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) से (ग) प्रबन्धन में कर्मचारियों की सहभागिता के लिए एक योजना भारत सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की गई थी जो विशेष रूप से छूट प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू है । योजना में शाप फ्लोर और प्लान स्तरों पर कर्मचारियों की सहभागिता की व्यवस्था है । जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का सम्बन्ध है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग श्रम मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकते हैं । सहभागी व्यवस्था में प्रचालनात्मक क्षेत्र, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, कार्मिक मामले, कल्याण, पर्यावरण तथा समुदाय विकास शामिल हैं ।